भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 512
(03 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

बिहार में पीएमजीएसवाई की स्थिति

512. श्री मनोज कुमारः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान बिहार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निर्मित सड़कों और पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या कितनी है और इन परियोजनाओं के लिए कुल कितना वित्तीय आवंटन और व्यय किया गया है;

(ख) क्या सरकार अनुसूचित जाति उप योजना और जनजातीय उप योजना (एससीएसपी और टीएसपी) बजट से इस योजना पर हजारों करोड़ रुपये व्यय कर रही है , यदि हां, तो क्या सरकार का पीएमजीएसवाई के जनसंख्या मानदंडों में छूट देने और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गांव टोला , जिसकी जनसंख्या 100 या उससे अधिक है को सड़क संपर्क प्रदान करने का विचार है , यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है , यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ग्रामीण सड़क निर्माण में , विशेष रूप से बिहार के दलित और आदिवासी गांवों में कार्यान्वयन में देरी, बजट की कमी और भूमि अधिग्रहण के मुद्दे जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बिहार में पूर्ण ग्रामीण सड़क संपर्क सुनिश्चित करने की सरकार की योजना की समय-सीमा क्या है और अल्पविकसित क्षेत्रों की प्रगति में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान बिहार राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत निर्मित सड़कों की लंबाई का विवरण pmgsy.dord.gov.in -> Progress Monitoring -> Financial Year wise Achievement पर देखा जा सकता है।"

इसके अलावा, पीएमजीएसवाई को कार्यान्वित करने के लिए निधियों का आवंटन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से मिले प्रस्तावों पर आधारित होता है और यह अन्य के साथ साथ , राज्यों के पास चल रहे कार्यों , राज्य की कार्य करने की क्षमता , और राज्य के पास पिछली जारी निधियों के शेष पर निर्भर करता है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों में बिहार राज्य को कुल 4,026.17 करोड़ रुपये का केंद्रीय अंश जारी किया गया है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान बिहार राज्य में पीएमजीएसवाई के तहत किए गए खर्च को pmgsy.dord.gov.in -> Progress Monitoring -> MPR1 पर देखा जा सकता है।

(ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम है और इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान करना है , ताकि लक्षित आबादी के सभी लोगों की पहुंच की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

हालांकि, जनजातीय (अनुसूची V) क्षेत्रों और चुने हुए जनजातीय एवं पिछड़े जिलों (जैसा कि गृह मंत्रालय और तत्कालीन योजना आयोग द्वारा चिन्हित किए गए हैं) को छूट प्रदान की गई है। जनगणना 2001 के अनुसार, इन क्षेत्रों के 'कोर नेटवर्क' में शामिल वे सड़क संपर्क विहीन बसावटें जिनकी जनसंख्या 250 या उससे अधिक है , इस योजना के तहत सड़क संपर्कता के लिए पात्र हैं, जबकि सामान्य क्षेत्रों के लिए जनसंख्या का यह मानदंड 500+ था। पीएमजीएसवाई के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निधियों का कोई अलग से आवंटन नहीं किया गया है।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से, सरकार ने 'प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान' (पीएम-जनमन) योजना शुरू की है। इसे 'मिशन मोड' में कार्यान्वित किया जाएगा ताकि पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास , स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता , शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुँच, सड़क और टेलीकॉम जुड़ाव तथा स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त किया जा सके। पीएम-जनमन के सड़क संपर्क घटक के तहत, 100 तक की जनसंख्या वाली पीवीटीजी बस्तियों को सड़क संपर्क प्रदान करने का

लक्ष्य रखा गया है। 5 वर्ष की अवधि (2023-24 से 2027-28) के भीतर 8,000 किलोमीटर की सड़क लंबाई का निर्माण करने लक्ष्य है। पीएम-जनमन के तहत, 28 जनवरी 2026 तक 2,495 सड़कें (7,324 किमी) और 164 पुल स्वीकृत किए गए हैं और 283 सड़कें (1,537 किमी) पूर्ण की जा चुकी हैं। बिहार राज्य को पीएम-जनमन के तहत कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (पीएमजीएसवाई -IV) 2024 में शुरू की गई है, ताकि 2011 की जनगणना के अनुसार , मैदानी क्षेत्रों में 500+ आबादी वाली, उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों , विशेष श्रेणी के क्षेत्रों (जनजातीय अनुसूची V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्र) में 250+ आबादी वाली, और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में 100+ आबादी वाली लगभग 25,000 सड़क संपर्कविहीन बसावटों को जोड़ने के लिए 62,500 किलोमीटर की बारहमासी सड़कों (सिंगल लेन) का निर्माण किया जा सके ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-IV के समन्वयन में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के सड़क संपर्क घटक को कार्यान्वित कर रहा है। डीए-जेजीयूए के तहत चिन्हित किए गए बिना सड़क संपर्क वाले क्षेत्रों को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी:

- 500 से ज़्यादा आबादी वाली बसावटें और जहाँ 50% या उससे ज़्यादा आबादी अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) की हो।
- आकांक्षी जिलों में 250+ जनसंख्या श्रेणी में 50 या अधिक अनुसूचित जनजातियों वाली बसावटें

इसके अलावा , प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) योजना का पीएमजीएसवाई-IV के साथ अभिसरण किया गया है। पीएम-अजय के तहत चिह्नित सड़क संपर्कविहीन बसावटों को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी:

- जनगणना 2011 के अनुसार 500 या उससे अधिक आबादी और 40% या उससे अधिक अनुसूचित जाति की आबादी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV के तहत बिहार राज्य से मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) 'ग्रामीण सड़कें ' राज्य का विषय है और योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की है। हालांकि, पीएमजीएसवाई के कार्यों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा मंत्रालय द्वारा निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) की बैठकों, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों (आरआरएम) और राज्यों (बिहार राज्य सहित) के साथ पूर्व-अधिकार प्राप्त/ अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से की जाती है। उपरोक्त के अलावा , ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव द्वारा (बिहार राज्य सहित) राज्यों के मुख्य सचिवों/सचिवों के साथ विशेष समीक्षा बैठकें/मासिक समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं, ताकि योजना की प्रगति का अवलोकन किया जा सके और केंद्रीय स्तर पर संबंधित मंत्रालयों के साथ चर्चा के बाद बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सके। जहाँ तक बजट की बाधाओं का प्रश्न है , मंत्रालय के संज्ञान में ऐसी कोई बाधा नहीं आई है और निधि की कमी के कारण पीएमजीएसवाई के तहत कार्यों की प्रगति प्रभावित नहीं हुई है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निधि जारी करना एक सतत प्रक्रिया है।

(घ) पीएमजीएसवाई-I की समय सीमा मार्च 2025 तक थी और पीएमजीएसवाई- II, पीएमजीएसवाई-III और आरसीपीएलडब्ल्यूईए के तहत लंबित कार्यों को पूरा करने की समय सीमा मार्च 2026 है। इसके अलावा, पीएमजीएसवाई-IV के कार्यों को पूरा करने की समय सीमा मार्च 2029 तक है।

***